

## अध्याय 3: आयकर विभाग के विभिन्न विंगों के मध्य तथा आयकर विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय

आयकर विभाग के विभिन्न विंगों/अन्य सरकारी एजेंसियों के मध्य समन्वय तथा निर्धारण प्रभारों के बीच महत्वपूर्ण सूचना का समय पर आदान-प्रदान, उचित समय पर कार्यवाही तथा गुणवत्ता निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सूचना का समन्वय तथा आदान-प्रदान राजस्व की संभावित निकासी को रोकने के लिए संबंधित निर्धारिती की सूचना के प्रति सत्यापन के उद्देश्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।

इस अध्याय में हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि क्या आयकर विभाग का तलाशी मामलों के निर्धारणों को अधिक अर्थपूर्ण तथा प्रभावी बनाने के लिए इसके विभिन्न विंगों तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के मध्य उचित समन्वय था। हमने आयकर विभाग के विभिन्न विंगों के मध्य तथा आयकर विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी के मुद्दों से सम्बन्धित ₹ 420.74 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव के साथ 368 मामलों को पाया।

### 3.1 आयकर विभाग के विभिन्न विंगों के मध्य समन्वय

#### 3.1.1 जब्त माल को सौंपने में देरी के परिणामस्वरूप निर्धारण के लिए कम समय लगना

तलाशी एवं जब्ती से संबंधित सभी कार्य जैसे मूल्यांकन रिपोर्ट की तैयारी तथा संबंधित निर्धारण अधिकारी को जब्त लेखा बहियों को सौंपना उस तिथि से 60 दिनों की अवधि के अन्दर जांच विंग द्वारा पूर्ण किया जाना चाहिए जिस तिथि को तलाशी के लिए अन्तिम प्राधिकार निष्पादित किया गया तथा निर्धारिती प्रभार को भेजा गया। इसके अलावा अधिनियम की धारा 153बी के अनुसार, अधिनियम की धारा 153ए के अन्तर्गत निर्धारण के पूर्णता की निर्धारित समय-सीमा उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 21 महीनों के अंदर है जिसमें तलाशी के लिए अन्तिम प्राधिकार निष्पादित किया गया।

हमने पांच राज्यों<sup>16</sup> में 39 समुहों में निर्धारण अधिकारी को जब्त माल के साथ मूल्यांकन रिपोर्ट को सौंपने में एक महीने से 14 महीनों तक की देरी को पाया जो आयकर विभाग के जांच तथा केन्द्रीय निर्धारण विंगों के बीच समन्वय की कमी को दर्शाता है। जब्त माल को सौंपने में इस असामान्य देरी

<sup>16</sup> चंडीगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल

के कारण निर्धारण के लिए कम समय रह सकता है जो निर्धारण की पूर्णता में जल्दबाजी के लिए मानवीय भूल के जोखिम का परिचायक है जिससे निर्धारण की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ऐसे तीन मामलों को सोदाहरण नीचे दर्शाया गया है:

- पंजाब, प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), चन्डीगढ़ प्रभार में, एक समूह के मामले में 04 जुलाई 2012 को तलाशी की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि जब्त माल के साथ मूल्यांकन रिपोर्ट 02 जुलाई 2013 को निर्धारण अधिकारी को सौंप दी गई थी। इस प्रकार, जब्त माल के साथ मूल्यांकन रिपोर्ट को प्रेषित करने में 60 दिनों के निर्धारित मानदंडों के प्रति 303 दिनों की देरी हुई थी।
- दिल्ली, प्र. सीआईटी (केन्द्रीय-2) दिल्ली प्रभार, में एक समूह के मामले में 24 मई 2012 को तलाशी की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि 25 फरवरी 2013 को निर्धारण अधिकारी को जब्त माल के साथ मुल्यांकन रिपोर्ट सौंप दी गयी थी। इस प्रकार जब्त माल के साथ मुल्यांकन रिपोर्ट को प्रेषित करने में 60 दिनों के निर्धारित मानदंडों के प्रति 7 महीनों तथा एक दिन की देरी हुई थी।
- पश्चिम बंगाल, प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-1 प्रभार में, एक समूह के मामले में 07 जनवरी 2016 में तलाशी की थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि जब्त माल के साथ मूल्यांकन रिपोर्ट को 14 महीनों की देरी के बाद निर्धारण अधिकारी को सौंपा गया था।

*इसलिए, हम सिफारिश करते हैं कि सीबीडीटी एक प्रणाली स्थापित करें ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि जब्त माल के साथ मूल्यांकन रिपोर्ट निर्धारित समय के अन्दर निर्धारण विंग को सौंपी जा सके ताकि निर्धारण अधिकारी को मूल्यांकन रिपोर्ट में इंगित किए गये सभी मुद्दों की जांच करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकें।*

### 3.1.2 निर्धारण के दौरान मूल्यांकन रिपोर्ट में दी गई शिफारिशों पर कार्रवाई

अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153ए के प्रावधानों के अन्तर्गत तलाशी के दौरान पाए गए माल के आधार पर अघोषित निर्धारित आय की प्रमाणिकता को सत्यापित करने के बाद, निर्धारण अधिकारी निर्धारिती की कुल आय का निर्धारण अथवा पुनः निर्धारण करेगा। जुलाई 1991 के निर्देश सं. 1886 के अनुसार, मूल्यांकन रिपोर्ट में निष्कर्षों से निर्धारण आदेश में किसी भिन्नता और उस पर कारणों को स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, यदि निर्धारण अधिकारी मूल्यांकन रिपोर्ट में प्राप्त किसी निष्कर्ष/परिणाम के सहमत<sup>17</sup> नहीं है तो मामलों का संबंधित ऊपर/संयुक्त डीआईटी (जांच) के साथ रैंज प्रमुख द्वारा निपटान किया जाएगा। सीआईटी, डीआईटी (जांच)<sup>18</sup> के साथ भी मुद्दों का निपटान कर सकता है।

हमने 13 राज्यों<sup>19</sup> के 260 मामलों में पाया जहां निर्धारण अधिकारी ने मूल्यांकन रिपोर्ट में इंगित किए गए संव्यवहार के स्रोत/प्रमाणिकता को सत्यापित नहीं किया तथा प्रविष्टि प्रदाता से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट, असुरक्षित ऋण/अग्रिम में सिफारिश की गई अघोषित आय को नहीं जोड़ा, मूल्यांकन रिपोर्ट में इंगित की गई संपूर्ण अघोषित आय को निर्धारित नहीं किया गया था, व्यय को टीडीएस के साक्ष्यों के अभाव में निर्धारित की आय में वापस नहीं जोड़ा था, ₹ 327.02 करोड़ के शामिल कर प्रभाव को तलाशी फोल्डर तथा माल की प्राप्ति के बावजूद विभाग द्वारा कार्यवाही को प्रारम्भ नहीं किया गया था। यद्यपि विभाग को आयकर विभाग के अन्य विंगों अर्थात् जांच विंग, टीडीएस सर्कल आदि के साथ इन मामलों में समन्वय की आवश्यकता तथा निर्धारण को अन्तिम रूप देने से पहले इन मुद्दों का निपटान करने की आवश्यकता थी तथापि इन्हें नहीं किया गया था। पांच मामलों को सोदाहरण नीचे दर्शाया गया है:

- उत्तर प्रदेश, प्र. सीआईटी (केन्द्रीय) कानपुर प्रभार, में, अगस्त 2015 में एक समूह के एक निर्धारित के मामले में तलाशी की गई थी और निर्धारण दिसंबर 2017 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा ने मूल्यांकन रिपोर्टों से पाया कि निर्धारित हवाला गतिविधियों में शामिल था जैसा कि जब्त माल से पता चला जिसमें नि.व. 2015-16 और 2016-17 के दौरान ₹ 156.45 करोड़ को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न व्यक्तियों को वितरित विशेष संख्या वाली करंसी मुद्रा नोटों को दर्शाया गया तथा निर्धारण अधिकारी को निर्धारित के पास नकद के स्रोत का पता लगाने तथा उस व्यक्ति का विवरण जिसे ₹156.45 करोड़ का नकद वितरण किया गया था का पता लगाने का निर्देश दिया गया था। तथापि, निर्धारण अधिकारी ने, तलाशी निर्धारणों को अन्तिम रूप देते हुए न तो उपरोक्त संव्यवहार के स्रोत/प्रमाणिकता को सत्यापित किया न ही आय में जोड़ा। इसके अतिरिक्त, ऐसा ना करने के लिए किसी कारण को दर्ज भी नहीं किया।

<sup>17</sup> तलाशी एवं जब्ती मैनुअल (खंड-I) का पैरा 6-43

<sup>18</sup> बोर्ड का पत्र संख्या एफ सं. 286/161/2006 आईटी (जांच-II) दिनांक 22 दिसंबर 2006

<sup>19</sup> आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, असम, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र ओडिसा, तामिलनाडु त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड।

चूक के परिणामस्वरूप कर तथा ₹ 64.29 करोड़ के ब्याज सहित अघोषित आय होने के नाते ₹ 153.54 करोड़ की आय छूट गयी।

- महाराष्ट्र प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-2 प्रभार, में, दिसंबर 2014 में एक निर्धारिती के मामले में तलाशी की गई तथा पाया गया कि निर्धारिती पेपर/शैल कंपनियों से शेयर एप्लीकेशन मनी की समंजन प्रविष्टि को प्राप्त करने में लगा था। लेखापरीक्षा ने लेखा बहियों से पाया कि नि.व. 2009-10 के दौरान निर्धारिती ने ₹2.70 करोड़ का शेयर प्रीमियम लिया था। उपरोक्त शेयर प्रीमियम का विवरण निर्धारिती द्वारा फाईल की गई रिटर्न में शामिल नहीं किया गया था। तथापि, इन विवरणों को ना तो निर्धारण अधिकारी /विभाग द्वारा मांगा गया और न ही दिसंबर 2016 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153ए के अन्तर्गत अन्तिम रूप दिए गए निर्धारण आदेश में चर्चा की गई थी। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.71 करोड़ के कर प्रभाव को शामिल करते हुए ₹ 2.70 करोड़ की अघोषित आय का गैर संवर्धन हुआ। विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि नि.व. 2010-11 से 2014-15 के लिए संवर्धन अन्य समूहों की तलाशी के साथ-साथ निर्धारिती समूह की तलाशी कार्रवाई के निष्कर्षों के आधार पर किया गया था। चूंकि, नि.व. 2009-10 के लिए कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था कि शेयर प्रीमियम जाली था।

विभाग का उत्तर इस आधार पर स्वीकार्य नहीं था कि निर्धारिती बोगस एप्लीकेशन मनी प्राप्त करने की प्रथा में लगा हुआ था और विभाग ने नि.व. 2010-11 से 2014-15 के लिए निर्धारण में शेयर एप्लीकेशन मनी से संबंधित राशि को जोड़ा था। चूंकि, निर्धारिती ने नि.वर्ष 2009-10 में उसी प्रकार का संव्यवहार किया था जो कि ब्लॉक निर्धारण का ही एक भाग था, निर्धारण अधिकारी को इस निर्धारण वर्ष के लिए भी अभिदाता की साख का सत्यापन करना चाहिए था।

- आन्ध्र प्रदेश प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद प्रभार, में, मई 2013 में एक कंपनी के मामले में तलाशी की गई थी तथा जनवरी 2015 में निर्धारण पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार ₹ 51.59 करोड़ की अघोषित आय नि.व. 2011-12 में निर्धारिती के पास घोषित की गई थी। तथापि अंतर के लिए किसी कारण को बताए बिना ₹ 10.28 करोड़ के शेष को छोड़ते हुए, निर्धारण के दौरान केवल ₹ 41.31 करोड़ को जोड़ा गया था। निर्धारिती के पास मूल्यांकन रिपोर्ट में

दर्शायी गई ₹ 10.28 करोड़ की अघोषित आय को संबंधित निर्धारण वर्ष में कर के लिए नहीं लाया गया तथा जांच विंग के साथ निर्धारण अधिकारी द्वारा मामले का निपटान भी नहीं किया गया था।

- दिल्ली प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-3 दिल्ली प्रभार, में जून 2012 में एक समूह तथा अन्य सहायक प्रतिष्ठानों के मामले में तलाशी की गई थी तथा अक्टूबर 2015 में निर्धारण पूर्ण किया गया था। मूल्यांकन रिपोर्ट में यह बताया गया था कि निर्धारिती नि.वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 में क्रमशः ₹1013.48 करोड़ तथा ₹120.10 करोड़ के उप-संविदा भुगतान पर टीडीएस की कटौती के बारे में किसी भी साक्ष्य को प्रस्तुत करने में विफल हो गया था। अतः संपूर्ण व्यय निर्धारिती की आय में वापिस जोड़ा जाना अपेक्षित था। यद्यपि, निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की आय में उपरोक्त राशि को वापिस नहीं जोड़ा। निर्धारण अभिलेखों में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था कि निर्धारिती ने टीडीएस की कटौती के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। इसके अतिरिक्त, विभाग इस मुद्दे पर जांच विंग के साथ किसी बैठक के किसी विचलन नोट या साक्ष्य को प्रस्तुत करने में विफल रहा। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹589.81 करोड़ के कर प्रभाव को शामिल करते हुए ₹1133.58 करोड़ तक की आय का कम निर्धारण हुआ था। विभाग ने बताया (अगस्त 2019) कि अगस्त 2019 में अधिनियम की धारा 154/155 के अन्तर्गत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई थी।
- केरल, सीआईटी (केन्द्रीय) कोची प्रभार, में, एक समूह के एक निर्धारिती के मामले में मार्च 2016 में एक तलाशी की गई थी। तलाशी के दौरान जब्त दस्तावेजों को काले धन (अघोषित विदेशी आय तथा परिसंपत्ति) तथा कर अधिनियम 2015 के अधिरोपण के प्रावधानों के उल्लंघन में उस ग्रुप नियंत्रक कंपनी में संस्था ग्रुप के किंगपिन द्वारा ₹17.38 करोड़ की राशि के लिए नकद निवेश के साक्ष्य थे। मूल्यांकन रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि कोर प्रमोटर ग्रुप के अन्य प्रमोटरों, विशेष रूप से उस निर्धारिती की विदेशी परिसंपत्ति धारिता का पता लगाने के लिए समान कार्रवाई न की जाए। यद्यपि जब्त माल के साथ तलाशी फोल्डर को मई 2017 में क्षेत्राधिकारी निर्धारण अधिकारी को प्रेषित किया गया था, विभाग ने इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की।

इसलिए, हम सिफारिश करते हैं कि सीबीडीटी एक प्रणाली स्थापित करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल्यांकन रिपोर्ट में इंगित किए गये मुद्दों को निर्धारण के दौरान विधिवत संबोधित किया गया है।

### 3.1.3 अधिनियम की धारा 132(4) के अन्तर्गत शपथ पर आधारित बयान पर किया गया संवर्धन।

अधिनियम की धारा 132(4) के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के अन्तर्गत तलाशी अभियानों के दौरान शपथ के अन्तर्गत दर्ज कोई बयान साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

अधिनियम की धारा 131(1) भी निर्धारण अधिकारी को उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए तथ्यों को स्त्यापित करने के लिए निर्धारण के दौरान निर्धारिती से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसके अतिरिक्त जुलाई 1991 के निर्देश संख्या 1886 के अनुसार निर्धारण आदेश में मूल्यांकन रिपोर्ट के निष्कर्षों से बदलाव के कारण स्पष्ट रूप से दर्ज किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि निर्धारण अधिकारी मूल्यांकन रिपोर्ट के मामलों/निष्कर्षों से सहमत<sup>20</sup> नहीं है तो रैंज प्रमुख द्वारा मामले को सम्बंधित अतिरिक्त/संयुक्त डी.आई.टी.(अन्वेषण) के साथ हल किया जाना चाहिए। सी.आई.टी. मामले को डी.आई.टी.(अन्वेषण)<sup>21</sup> के साथ भी हल कर सकता है।

अघोषित आय के निर्धारण के लिए प्रभावी तरीके में अधिनियम की धारा 132(4) के अन्तर्गत शपथ पर दर्ज बयान के प्रयोग न करने से संबंधित मुद्दों को सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2006 की संख्या 7 में भी उजागर किया गया था, यद्यपि अनियमितता अभी भी मौजूद है।

हमने छह राज्यों<sup>22</sup> में 25 मामलों में 93.72 करोड़ के कर प्रभाव को देखा कि नि.अ. ने निर्धारिती के धारा 132(4) के अंतर्गत शपथ पर आधारित बयान का प्रयोग साक्ष्य के तौर पर नहीं किया या अधिनियम की धारा 131 के अंतर्गत जानकारी मांग कर उसका सत्यापन नहीं किया। इसके अतिरिक्त नि.अ. ने निर्धारिती द्वारा स्वीकार की गई अघोषित आय का संवर्धन नहीं किया था अथवा तलाशी के दौरान शपथ पर किए गए बयान के आधार पर व्यय को अस्वीकृत नहीं किया तथा नि.अ. ने ना संवर्धन/व्यय को अस्वीकृत करने के कारणों को दर्ज किया और ना ही अघोषित आय का मामलों को, सीबीडीटी के निर्देशों और सर्च एवं सीजर मैन्युअल के अनुसार अन्वेषण अनुभाग से हल

<sup>20</sup> तलाशी एवं जब्ती मैन्युअल (खंड-I) का पैरा 6-43

<sup>21</sup> बोर्ड का पत्र संख्या एफ सं. 286/161/2006 आईटी (जांच-II) दिनांक 22 दिसंबर 2006

<sup>22</sup> बिहार, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड

किया जो कि मूल्यांकन रिपोर्ट के परिणामों/निष्कर्षों से असहमति पर आवश्यक था। दो मामलों को सोदाहरण नीचे दर्शाया गया है:

- गुजरात प्र. सीआईटी (केन्द्रीय) अहमदाबाद प्रभार, में, जनवरी 2015 में एक समूह के एक निर्धारिती के मामले में एक तलाशी की गई थी तथा निर्धारण दिसंबर 2016 में पूर्ण किया गया था। मूल्यांकन रिपोर्ट से यह देखा गया था कि निर्धारिती ने नि.व. 2009-10 एवं 2010-11 के लिए, 'बी' देश के एक इकाई, के माध्यम से 'ए' देश से आयातित फर्नीचर के कम मूल्यांकन के लिए नकद में ₹1.26 करोड़ की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया था। इस तथ्य को अधिनियम की धारा 132(4) के अन्तर्गत दर्ज बयान में निर्धारिती द्वारा स्वीकार किया गया था। तथापि, उसी को निर्धारण में अधिनियम की धारा 40ए(3) के अंतर्गत अस्वीकृत नहीं किया गया था तथा उसके लिए निर्धारण अधिकारी ने कारणों को भी दर्ज नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹42.81 लाख के कर प्रभाव सहित ₹1.26 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। विभाग ने बताया कि निर्धारिती ने अलेखांकित कम बीजक वाली खरीदों पर निवल लाभ दिया था तथा जिसे आय की रिटर्न में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था। इसके अलावा, यह बताया गया था कि अधिनियम की धारा 40ए(3) के प्रावधान लाभ एवं हानि लेखा को डेबिट किए गये व्यय के संबंध में लागू है।

विभाग का उत्तर इस आधार पर स्वीकार्य नहीं है कि अधिनियम की धारा 40ए(3) के अनुसार, निर्धारिती द्वारा अधिनियम में निर्धारित सीमा से अधिक नकद में कोई व्यय किया गया है तो, ऐसे व्यय के संबंध में कोई भी कटौती अनुमत नहीं की जाएगी। ऐसी कोई शर्त नहीं है कि व्यय लाभ तथा हानि खाते में डेबिट किया जाना चाहिए। इस मामले में निर्धारिती ने नकद में कम बीजक की खरीदों के कारण व्यय किए थे तथा उसे ही आयकर उद्देश्य के लिए लाभ के रूप में प्रस्तुत किया था जो कि स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि व्यय के दावे करने के बाद लाभ प्राप्त हुआ था तथा इसलिए धारा 40ए(3) के अन्तर्गत अननुमय था।

- उत्तर प्रदेश प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), कानुपर प्रभार में, अक्टूबर 2013 में एक समूह के मामले में एक तलाशी की गई थी तथा निर्धारण अक्टूबर 2014 में पूर्ण किया गया था। निर्धारण अधिकारी ने समूह के एक निर्धारिती के मामले में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय नि.व. 2013-14 के लिए यह निष्कर्ष निकाला कि निर्धारिती के पास ₹201.99 करोड़ की असत्यापित नकद ऋण/प्राप्तियां थी तथा ₹86.99 करोड़ को यह बताते

हुए जोड़ दिया कि निर्धारिती ने धारा 132(4) के अंतर्गत ₹115 करोड़ स्वीकार किए थे। यद्यपि लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने ना तो अपनी रिटर्न में उपरोक्त राशि को प्रस्तुत किया था और ना ही निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण आदेश में उसे जोड़ा था। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹67.16 करोड़ के कर प्रभाव को शामिल करते हुए ₹115 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ था।

*इसलिए, हम पुनरावृत्ति करते हैं कि अधिनियम के प्रावधान 132(4) का प्रभावी उपयोग करने के लिए आयकर विभाग अपनी निर्धारण प्रक्रिया को मजबूत करे।*

सीबीडीटी ने लेखापरीक्षा सिफारिश की जांच करने पर सहमति व्यक्त की (जून 2020)।

### **3.2 आयकर विभाग तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय**

#### **3.2.1 आयकर विभाग के साथ अन्य सरकारी एजेंसियों/प्राधिकरणों द्वारा सूचना का आदान-प्रदान न करना।**

क्षेत्रीय आर्थिक सूचना समिति (आरईआईसी) को क्षेत्र में विभिन्न आर्थिक प्रवर्तन एजेंसियों के बीच संचालन समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थापित<sup>23</sup> किया गया है जिससे व्यापार तथा उद्योगों पर सामान्य आर्थिक सूचना एकत्र हो तथा उनके द्वारा संसाधित अथवा दायर महत्वपूर्ण मामलों पर जानकारी का विनिमय/आदान-प्रदान की सुविधा हो सके। आरईआईसी में सीबीईसी तथा सीबीडीटी के अधीन कमीशनर तथा ऊपर के रैंक के राजस्व विभाग के सभी अधिकारी जिन्हें कर कानून के प्रवर्तन का प्रशासनिक उत्तरदायित्व सौंपा गया है, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की संबंधित एजेंसियों के प्रमुख रीजन में बैंको के स्थानीय प्रमुख आदि शामिल हैं। आवधिक बैठकें की जाती हैं जिनमें विभिन्न एजेंसियों द्वारा संसाधित जानकारी का आदान-प्रदान किया जाता है। जहां पर आरईआईसी में आयकर विभाग के प्रतिनिधि/नोडल अधिकारी अन्य प्रतिभागी एजेंसियों से तलाशी की संभावना वाली किसी जानकारी को प्राप्त करते हैं, उसे उचित कार्रवाई के लिए डीआईटी (अन्वेषण) को भेज देना चाहिए।

हमने महाराष्ट्र में आठ मामले देखे जहां अन्य सरकारी एजेंसियां अर्थात् आरईआईसी तथा सीबीईसी ने आयकर विभाग के साथ जानकारी साझा नहीं की। इसके परिणामस्वरूप, निर्धारण अधिकारी, उत्पाद शुल्क, के भुगतान के

<sup>23</sup> तलाशी एवं जब्ती मैनुअल खंड-1 का पैरा 2.16(2)



बिना स्टॉक को हटाने, बिना बीजक/बिलों के नकद में खरीदारी तथा निवेश के स्रोत की प्रमाणिकता आदि जैसे मुद्दों को या तो तलाशी निर्धारणों अथवा अपेक्षित सूचना की जांच के बिना निर्धारण को अंतिम रूप देने में संबोधित नहीं कर सका जो राजस्व के हित के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ऐसे दो मामलों को सोदाहरण नीचे दर्शाया गया है:

- i) महाराष्ट्र प्र. सीआईटी (केन्द्रीय) नागपुर प्रभार, में, एक निर्धारिती के मामले में मई 2013 को एक तलाशी की गई थी तथा यह पाया गया था कि डीजीसीईआई पुणे ने निर्धारिती के परिसर पर फरवरी 2010 में एक तलाशी की तथा पता चला था कि निर्धारिती ने शुल्क के भुगतान के बिना ₹26.27 करोड़ का नकद प्रतिफल प्राप्त करके दिसंबर 2009 से फरवरी 2010 के दौरान स्टॉक को गुप्त रूप से हटा दिया था। निर्धारिती ने निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया था तथा ₹1.91 करोड़ के उत्पाद शुल्क का भुगतान किया। निर्धारिती ने चार आपूर्तिकर्ताओं से बिना बीजकों/बिलों के ₹20.62 करोड़ नकद में स्टॉक की खरीदारी भी की थी। एक आपूर्तिकर्ता जिसकी ग्रुप कंपनी थी जिसने ₹7.33 करोड़ का नकद में प्रतिफल प्राप्त करके स्टॉक की आपूर्ति की थी। उपरोक्त नकद बिक्री के लिए, ₹5.06 करोड़ की नकद खरीदारी की गई थी। हमने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने एचयूएफ तथा एक कंपनी के मामले में अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153ए के अन्तर्गत दिनांक मार्च 2016 के निर्धारण आदेश में तथा धारा 40ए(3) के अन्तर्गत क्रमशः ₹20.62 करोड़ तथा ₹5.06 करोड़ की उपरोक्त नकद खरीदों को अस्वीकृत कर दिया है। यदि डीजीसीईआई, पुणे द्वारा पायी गयी ₹25.68 करोड़ की नकद खरीदों तथा ₹33.59 करोड़ की नकद बिक्री की इन विसंगतियों को आयकर विभाग के साथ समय पर साझा किया गया होता तो कर के परिहार को रोकने के लिए नियमित निर्धारण के समय पर उसे सम्बोधित किया जा सकता था।
- ii) महाराष्ट्र प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-II मुम्बई प्रभार, में एक समूह की एक कंपनी के मामले में सितंबर 2013 में एक तलाशी की गई थी। तलाशी अभियान के दौरान, यह पाया गया था कि निर्धारिती कंपनी के पास नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लि. (एनएसईएल) के प्लेटफार्म पर अनिर्णित स्थितियों के कारण इसके 825 ग्राहकों की ओर से प्राप्य के रूप में ₹642.78 करोड़ थे। 825 ग्राहकों में से 821 ग्राहकों के संबंध में निवेशों के स्रोत की प्रमाणिकता को जांचने के लिए जिनके पास मार्च 2013 तक एनएसईएल पर अनिर्णित स्थिति थी, ऐसे मामलों को डीआईटी (अन्वेषण) द्वारा डीआईटी (आईएंडसीआई) मुम्बई, को स्थानांतरण कर दिया गया था।

संयुक्त आयुक्त, पुलिस के कार्यालय (ईओडब्ल्यू) मुम्बई ने आयकर कार्यवाहियों के परिप्रेक्ष्य में सामान्य में समूह तथा विशेष में कंपनी के संबंध में जानकारी के आदान-प्रदान करने का भी अनुरोध किया था। तथापि, इन कार्यालयों में से किसी से भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी। जबकि डीआईटी (जांच) तथा सीआईटी (सी) सहित सभी उपरोक्त एजेंसियां आरईआईसी की सदस्य थीं। इसके परिणामस्वरूप, निर्धारण अधिकारी ने अपेक्षित सूचना की जांच किए बिना निर्धारण को अन्तिम रूप दिया जो राजस्व के हित के लिए हानिकारक हो सकता है। अतः क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना काउंसिल (आरईआईसी) जैसी संस्थाओं के गठन का उद्देश्य इस मामले में विफल हो गया था।

विभाग ने बताया (अगस्त 2019) कि डीजी (आईएंडसीआई) तथा संयुक्त सीपी(ईओडब्ल्यू) से जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी और मामला सीमांकन के कारण कालबाधित हो रहा था निर्धारण अधिकारी ने आदेश पास कर दिया था। इसके अतिरिक्त, यदि कोई जानकारी, डीआईटी (आईएंडसीआई) तथा संयुक्त सीपी(ईओडब्ल्यू) द्वारा साझा की गई है, जिसके कारण आय छूट गयी है, तो विभाग के पास अधिनियम की धारा 147 के अन्तर्गत उपचारी कार्रवाई का विकल्प हमेशा उपलब्ध है।

### 3.2.2 आयकर विभाग द्वारा अन्य सरकारी एजेंसियों/प्राधिकरणों से जानकारी साझा न करना

तलाशी एवं जब्ती मैनुअल के खंड-1 के पैरा 6.60, 6.61 तथा 6.62 संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों, प्राधिकरणों, अथवा विभागों से या तो प्रत्यक्ष रूप से और/अथवा क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना समिति के माध्यम से तलाशी/पूर्ण तलाशी निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान पाई गई जानकारी साझा करने को क्रियाविधि भी निर्धारित करते हैं। जहां ऐसी सूचना संवेदनशील मामले से संबंधित है, तो सूचना की पद्धति तथा तरीके को डीआईटी (अन्वेषण) की सलाह से अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए। ऐसी सूचनाओं के तथ्य को निर्धारण अधिकारी, रेंज अतिरिक्त/संयुक्त सीआईटी, सीआईटी तथा डीआईटी (अन्वेषण) को भी सूचित किया जाना चाहिए। इसे मूल्यांकन रिपोर्ट में भी उल्लेखित किया जाना चाहिए यदि ऐसी सूचना इसके अन्तिम रूप दिये जाने से पहले की गई थी।

हमने चार राज्यों<sup>24</sup> में 11 मामलों में पाया जहां पर कि पेपर कम्पनियों को ऋणों को देने, औद्योगिक संवर्धन आर्थिक सहायता (पीएसआई)/बिक्री कर आर्थिक सहायता सरकारी एजेंसियों/प्राधिकरणों के साथ आयकर विभाग

<sup>24</sup> गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल

द्वारा साझा नहीं की गई थी। ऐसे चार मामलों को सोदाहरण नीचे दर्शाया गया है:

- i) महाराष्ट्र प्रा. सीआईटी (केन्द्रीय)-III मुम्बई प्रभार, में, दिसंबर 2015 में एक समूह के परिसर में तलाशी की गई थी। तलाशी और निर्धारण प्रक्रिया के दौरान, आयकर विभाग को ज्ञात हुआ कि समूह एनबीएफसी से अधिनियम एमबीएफसी द्वारा निर्धारित सीमा के निर्धारित जोखिम के अनुसार प्रारंभिक रूप से अतिरिक्त ऋण के लिए योग्य नहीं था। तदुपरान्त 16 असंबंधित निजी लिमिटेड कंपनियों का समूह द्वारा गठन किया गया था जिनमें निदेशक और अंशदाता कंपनी के कर्मचारी होंगे तथा एनबीएफसी द्वारा दी गई सलाह के रूप में एनबीएफसी से अधिक निधियों को प्राप्त करने के लिए योजना भुगतानों के लिए ईकाईयों में अंततः चैनलाईज किया गया। अंततः एनएफसी ने वि.वर्ष 12-13 से 14-15 के दौरान ₹463 करोड़ का एक ऋण अग्रिम दिया यद्यपि इन पेपर कंपनियों की वित्तीय स्थिति ऋण लेने के लिए पात्र होना इतना आसान नहीं था। लेखापरीक्षा ने पाया कि बिना पात्रता के पेपर कंपनियों को ऋण मंजूर करने का मामला एक गंभीर मुद्दा था और जिसे अन्य सरकारी विभाग/एजेंसियों के साथ साझा किया जाना अपेक्षित था ताकि अन्य मामलों में इस प्रकार कि अनियमितताओं को होने से रोका जा सके। तथापि, आयकर विभाग द्वारा जानकारी की सीधे रूप में अथवा आरईआईसी के माध्यम से साझा नहीं किया गया था। इस तरह की कमियों की घटनाओं की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है।

विभाग ने बताया (जून 2019) कि आरईआईसी फोल्डरों को जांच निदेशालय द्वारा अनुरक्षित रखा गया था तथा केन्द्रीय प्रभारों के समय साझा नहीं किया था। तथापि, उपरोक्त जानकारी को मूल्यांकन रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार जून 2019 में केन्द्रीय प्रभारों द्वारा आरबीआई के साथ साझा की थी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त जानकारी को लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई अभ्युक्तियों के छः माह के बाद साझा किया गया था। इसके अतिरिक्त, ऐसी महत्वपूर्ण सूचना वास्तविक समय आधार पर संबंधित एजेंसियों को पास कर दी जानी चाहिए ताकि ऐसी अनियमितताओं को समय पर जांचा जा सके।

- ii) महाराष्ट्र प्रा. सीआईटी (केन्द्रीय), पूना प्रभार, में, अक्टूबर 2015 में एक समूह की एक कंपनी के मामले में तलाशी की गई और इसमें अनेक विसंगतियां

देखी गई। इसके बाद, अधिनियम की धारा 142(2ए) के तहत विशेष लेखापरीक्षा के लिए मामला संदर्भित किया गया था। इस मामले को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा विशेष जांच लेखापरीक्षा के लिए भी संदर्भित किया गया था। इन दो रिपोर्टों में अनेक विसंगतियां देखी गईं। विसंगतियों में से एक विसंगति परिसंपत्तियों पर नि.व. 2010-11 से 2016-17 के दौरान ₹372.70 करोड़ के मूल्यहास का अनियमित दावा था, जिसके लिए बीजकों का सूचीकरण और अन्य समर्थक दस्तावेज सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराये थे। पूर्वोक्त विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट और विशेष जांच रिपोर्ट के आधार पर, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण आदेश में निष्कर्ष निकाला कि निर्धारिती ने कोई परिसंपत्ति नहीं खरीदी थी और स्थायी संपत्तियों की मात्रा को खाता-बही में बढ़ाकर लिखा गया था और तदनुसार अगस्त 2018 में अधिनियम की धारा 153ए के साथ पठित धारा 144 के तहत ₹372.70 करोड़ के मूल्यहास के संपूर्ण अनियमित दावे को अस्वीकृत कर दिया था। विभाग ने राजस्व प्राप्तियों के रूप में मानी जाने वाली बृहत परियोजना इकाई की स्थापना करने के लिए पीएसआई के तहत महाराष्ट्र सरकार से पूर्वोक्त नि.व. के दौरान प्राप्त की गई ₹181.12 करोड़ की औद्योगिक प्रोत्साहन सब्सिडी (पीएसआई)/बिक्री कर सब्सिडी अस्वीकृत की थी। चूंकि निर्धारिती ने महाराष्ट्र सरकार से पीएसआई सब्सिडी का गलत दावा किया था, विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट और विशेष जांच लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु महाराष्ट्र सरकार के साथ साझा की जानी चाहिए थी। यद्यपि, लेखापरीक्षा निर्धारण अभिलेख से पता नहीं लगा सकी कि क्या निर्धारण अधिकारी द्वारा या तो सीधे या आरईआईसी के माध्यम से सूचना महाराष्ट्र सरकार/अन्य संबंधित एजेंसियों/विभाग के साथ साझा की गई थी।

- iii) उत्तर प्रदेश, प्र. सीआईटी (केंद्रीय), कानपुर प्रभार, में एक समूह की एक कंपनी के मामले में अक्टूबर 2013 में एक तलाशी की गई थी। मार्च 2016 में ₹54.28 करोड़ की रिटर्न आय के किसी भी परिवर्धन के बिना नि.व. 2014-15 के लिए निर्धारण पूर्ण किया गया था। निर्धारिती कंपनी एक एकाधिकार रखने वाली सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी थी और कृषि वस्तुओं सहित विभिन्न वस्तुओं के कारोबार में लगी हुई थी। निर्धारिती के खाता-बही खरीद और बिक्री दर्शा रहे थे परंतु प्रारंभिक तथा अंत स्टॉक और प्रत्येक वर्ष की कारोबार में हानि को नहीं दर्शा रहे थे। यद्यपि, नि.व. 2010-11 से 2014-15 से ग्राहकों से उधार ली गई निधियों और अग्रिमों में से एफडी में निवेश में भारी वृद्धि हुई थी। निर्धारिती कंपनी ने विभिन्न

विदेशी देशों से कृषि से संबंधित वस्तुएं खरीदी थी और भारत में इनको लाए बिना विदेशों से सीधे अन्य देशों में बिक्री की थी। कंपनी ने भारत से अपने संपूर्ण कारोबार का प्रबंधन किया था और विदेशी ग्राहकों/खरीदारों को बिक्री बीजक जारी किए थे। निर्धारिती कंपनी ने विदेशी लेनदारों और ग्राहकों से अग्रिमों द्वारा धन जुटाकर और एफडी में निवेश करके एक बड़ी देयता सृजित की थी, जिससे ब्याज की वह आय अर्जित की गई थी, जिसे अन्य खर्चों के रूप में अधिक राशि वहन करके उच्च लागत पर खरीद और कम कीमत पर बिक्री के कारण कारोबार हानि के प्रति समायोजित किया गया था। निर्धारिती कंपनी ने नि.व. 2014-15 के लिए विविध लेनदारों के रूप में ₹ 2,249.22 करोड़ और ग्राहकों से अग्रिम के रूप में ₹ 415.65 करोड़ की अधिक राशि की घोषणा की थी। अधिप्राप्ति, अंतःक्रमण और करों, शुल्कों और अन्यो के अधिक बीजक बनाने के पहलू की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा), मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम एवं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के तहत की जानी अपेक्षित थी। तथापि, आयकर विभाग ने कारोबार और विदेशी लेनदारों/अग्रिमों की वास्तविकता की जांच के लिए ईडी को कोई भी सूचना नहीं दी थी। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था।

- iv) उत्तर प्रदेश प्र. सीआईटी (केंद्रीय) कानपुर प्रभार में अक्टूबर 2015 में एक निर्धारिती के मामले में तलाशी की गई और यह पाया कि निर्धारिती ने अगस्त 2008 में अनुमोदित एक अस्पताल के निर्माण के लिए नक्शा प्राप्त करने के लिए इलाहाबाद विकास प्राधिकरण (एडीए) को ₹ 50.04 लाख की राशि जमा कराई थी। तथापि, यह पाया गया कि दिए गए पते पर इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अस्पताल भवन के बजाय निर्धारिती का एक आलीशान निवास था। इस संबंध में, मूल्यांकन रिपोर्ट में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण को यह सूचना देने का सुझाव दिया गया था। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों में पता चला कि आयकर विभाग ने एडीए को यह सूचना नहीं दी थी। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था।

इस प्रकार, आयकर विभाग के विभिन्न विगों के साथ-साथ अन्य सरकारी एजेंसियों/प्राधिकरणों के मध्य समन्वय का अभाव था। इसके अलावा, महत्वपूर्ण सूचना या तो साझा नहीं की गई थी या विलंब से साझा की गई थी। परिणामस्वरूप, संबंधित एजेंसियों/अधिकारियों द्वारा समय पर कार्रवाई नहीं की जा सकी।

इसलिए, हम सिफारिश करते हैं कि आयकर विभाग, विभाग के विभिन्न विंगों के साथ-साथ अन्य सरकारी एजेंसियों के मध्य सूचना के आदान-प्रदान के तंत्र को मजबूत करें और प्रभावी निर्धारणों के लिए समयबद्धता सुनिश्चित करें और निर्धारिती को अनुचित लाभ लेने से रोकें।

सीबीडीटी ने बताया (जून 2020) कि मौजूदा प्रक्रियाएं/तंत्र विभाग के अंदर और साथ ही अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ सूचना का प्रभावी आदान-प्रदान पहले से ही कर रहे हैं और बोर्ड ने समय-समय पर संबंधित क्षेत्रीय सरचनाओं को समय-सीमा का सख्ती से पालन करने हेतु निर्देशित करने के लिए विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। तथापि, सीबीडीटी ने इस बात पर सहमति दी कि मौजूदा तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

### 3.3 तलाशी और जब्ती निर्धारणों में मॉनीटरिंग तंत्र

#### 3.3.1 जब्त की गई सामग्री की एक व्यापक और पद्धतिगत जांच के आधार पर कार्रवाई नोट प्रस्तुत करना

सीबीडीटी निर्देशों के एफ.सं. 286/161/2006-आईटी (अन्वेषण-II) दिनांक 22.12.2006 के पैरा 1.5 के अनुसार, मूल्यांकन रिपोर्ट में उपलब्ध टिप्पणियों के अलावा, जब्त की गई सामग्री की एक व्यापक और पद्धतिगत जांच के आधार पर एक कार्रवाई नोट निर्धारण अधिकारी द्वारा जब्त सामग्री की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर तैयार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त उल्लिखित सीबीडीटी निर्देश के पैरा 1.7 के अनुसार, तैयार किए गए कार्रवाई नोट की एक प्रति, अपर/संयुक्त सीआईटी द्वारा समुचित पर्यवेक्षण को सक्षम बनाने के लिए अनुपालन रिपोर्ट के भाग के रूप में उनके माध्यम से सीआईटी (सेन्ट्रल) को भेजी जानी चाहिए।

हमने सभी राज्यों में 185 चयनित समूहों के संबंध में इस मुद्दे का विश्लेषण किया और इस संबंध में हमारी अभ्युक्तियां निम्नानुसार हैं:

- (i) हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश प्रभार में 36 चयनित समूहों में निर्धारण अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान पूर्ण किए गए तलाशी निर्धारणों के लिए कार्रवाई नोट तैयार नहीं किए गए थे। इसके अलावा, महाराष्ट्र प्रभार में चार मामलों में विभाग ने बताया कि अभिलेखों के अनुसार कार्रवाई नोट उपलब्ध नहीं थे।
- (ii) असम, बिहार, गुजरात, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल प्रभारों में 74 चयनित समूहों में, संबंधित

पीसीआईटी/सीआईटी ने कार्रवाई नोट को तैयार करने/जमा करने की सूचना नहीं दी थी।

चूंकि कार्रवाई नोट तैयार करना/प्रस्तुत करना मॉनीटरिंग तंत्र का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, उसको तैयार नहीं करना/प्रस्तुत नहीं करना एक गंभीर चूक थी, जिसने सक्षम अधिकारी द्वारा तलाशी निर्धारणों के उचित पर्यवेक्षण में बाधा उत्पन्न की।

### 3.3.2 निर्धारणों के गुणात्मक पहलुओं पर पृथक विवरणात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

निर्धारण अधिकारी को ऐसे मामलों में निर्धारण के गुणात्मक पहलू पर एक पृथक विवरणात्मक रिपोर्ट तैयार करनी होती है जहां जब्ती/समर्पण/अनुमानित छिपाव 50 लाख या इससे अधिक है और यह प्रत्येक तिमाही मेम्बर (अन्वेषण) को भेजनी होती है (18 जुलाई 1991 के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की क्रम सं. 05 के निर्देश की सं. 1886/1991 (एफ सं. 286/109/91-आईटी (अन्वेषण II))।

हमने राज्यों में पृथक-पृथक विवरणात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के मुद्दे की जांच की और इस संबंध में हमारी अभ्युक्तियां निम्नानुसार हैं:-

1. महाराष्ट्र और ओडिशा प्रभार में चयनित आठ समूहों में वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान पूर्ण किए गए तलाशी निर्धारणों के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा पृथक विवरणात्मक रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश में छः समूहों में यह सुनिश्चित नहीं था कि क्या ये प्रस्तुत किए गए थे अथवा नहीं।
2. असम, बिहार, गुजरात, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल प्रभार में चयनित 59 समूहों में संबंधित पीसीआईटी/सीआईटी ने पृथक विवरणात्मक रिपोर्ट को तैयार करने/प्रस्तुत करने की सूचना नहीं दी।

इस प्रकार, विभाग से उत्तर के अभाव में, लेखापरीक्षा में यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या पृथक विवरणात्मक रिपोर्ट नियमित रूप से भेजी जा रही थी।

*इसलिए, हम सिफारिश करते हैं कि जहाँ पर कार्रवाई नोट/पृथक विवरणात्मक रिपोर्ट नहीं तैयार की गई हो वहाँ जिम्मेदारी निश्चित की जाए और समुचित कार्रवाई की जाए ताकि तलाशी कार्यों का उद्देश्य पराजित ना हो।*

### 3.4 कर आधार को व्यापक बनाना

तलाशी और जब्ती परिचालनों के फलस्वरूप अनेक नए निर्धारिती पाए गए और कर दायरे में जोड़े गए जिसके परिणामस्वरूप कर आधार व्यापक हुआ और राजकोष में राजस्व की वृद्धि हुई।

हमने बिहार और महाराष्ट्र प्रभार में 25 मामलों में पाया कि यद्यपि संबंधित मूल्यांकन रिपोर्ट में भूमि/फ्लैट/वस्तुओं के उन विक्रेताओं से संबंधित सूचना दी गई थी, जो संभावित निर्धारिती हो सकते हैं। विभाग ने अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। विभाग ने यह भी पुष्टि नहीं की कि क्या ये विक्रेता विभाग के कर दायरे में हैं और नियमित रूप से विवरणी दाखिल कर रहे हैं। दो सोदाहरण मामले नीचे दिए गए हैं:

- बिहार प्र. सीआईटी (केंद्रीय), पटना प्रभार, में जनवरी 2015 में एक समूह के मामले में तलाशी की गई थी। हमें समूह की मूल्यांकन रिपोर्ट से पता चला कि निर्धारण अधिकारी को अधिनियम की धारा 56(2)(VII) (बी) के अनुसार 30 जून 2013 के विक्रेताओं को होने वाले पूंजीगत लाभ और क्रेताओं को अन्य स्रोत से होने वाली आय पर भी अधिनियम की धारा 50सी के प्रावधानों के अनुसार कर की देयता सत्यापित करने का सुझाव दिया गया था। हमने देखा कि 18 व्यक्तियों (व्यक्ति/फर्म/कंपनी) ने ₹536.91 लाख पर समूह (11 निर्धारितियों) को भूमि/फ्लैट का विक्रय किया था। विक्रेताओं से संबंधित निर्धारण अधिकारी के साथ पूंजीगत लाभ के उद्देश्य के लिए सूचना साझा की जानी थी, परंतु इसको संबंधित निर्धारण अधिकारी के साथ साझा नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि दो खरीदारों का निर्धारण संबंधित पटना सेंट्रल सर्कल में नहीं किया गया था। तथापि उन्होंने ₹47.31 लाख का भूमि/फ्लैट खरीदा गया था जिसका स्टाम्प मूल्य ₹93.45 लाख था। क्रय मूल्य और स्टाम्प मूल्य के बीच ₹46.14 लाख का अंतर था। चूंकि इन निर्धारितियों का निर्धारण नहीं किया गया था, इसलिए लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सकी कि क्या दो खरीदारों ने भिन्न राशि पर कर प्रस्तुत किया था और क्या खरीदार नियमित रूप से अपनी आयकर विवरणी दाखिल कर रहे थे। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था।
- महाराष्ट्र प्र. सीआईटी (सेंट्रल), नागपुर प्रभार, में, एक समूह के मामले में अगस्त 2012 में एक तलाशी की गई, जिसमें निर्धारिती सम्मिलित थे तथा निर्धारण मार्च 2016 में पूर्ण किया गया। मूल्यांकन रिपोर्ट से लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती ने नि.व. 2007-08 से 2013-14 के लिए अपंजीकृत विक्रेता (यूआरडी) से ₹687.59 करोड़ के सोयाबीन के बीज खरीदे थे। निर्धारिती ने यूआरडी खरीदों के आपूर्तिकर्ता की पहचान के



लिएपैन, विक्रेता का पता और वैध बीजक आदि प्रस्तुत नहीं किए थे। न तो तलाशी विंग और न ही निर्धारण प्रभार उन आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करने में सक्षम थे, यद्यपि कुछ आपूर्तिकर्ताओं के भुगतान एक करोड़ रूपयों से भी अधिक थे। यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या आपूर्तिकर्ता कर दायरे में थे और नियमित रूप से अपनी कर विवरणी दाखिल कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, इस बात की भी पुष्टि नहीं की गई कि क्या यूआरडी द्वारा इस प्रकार की प्राप्तियों को कृषि आय के रूप में नहीं अपितु आय के रूप में प्रस्तुत किया गया क्योंकि एक मामले में अधिनियम की धारा 40ए(3) के तहत इन आय को जोड़ा गया था।

इसके अतिरिक्त, विभाग ने महाराष्ट्र में 5 समूहों में यह बताया कि तलाशी-जब्त निर्धारण के बाद कर दायरे में जोड़े गए नए निर्धारितियों की कोई संख्या निर्धारित नहीं थी। नियमित रूप से आय कर विवरणी दाखिल करने और तलाश किए गए निर्धारितियों के संवीक्षा हेतु चयन के संबंध में, विभाग ने महाराष्ट्र के एक समूह को बताया था कि ऐसी कोई मॉनीटरिंग लागू नहीं थी, जबकि महाराष्ट्र के अन्य समूह के मामले में बताया कि मॉनीटर करना संभव नहीं था।

*इसलिए, हम सिफारिश करते हैं कि आयकर विभाग तलाशी अभियानों/निर्धारणों के फलस्वरूप कर दायरे में जोड़े गए नए निर्धारितियों का पता लगाने के लिए एक सिस्टम तैयार करें और यह भी देखे कि वे निर्धारित कर अनुपालन कर रहे हैं।*

सीबीडीटी ने बताया (जून 2020) कि प्र. सीआईटी से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, वे चूकों का पता लगाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति न हो।

### 3.5 निष्कर्ष

आयकर विभाग के विभिन्न विंगों के बीच समन्वय शिथिल था जो अन्वेषण विंग द्वारा निर्धारण अधिकारी को जब्त की गई सामग्री और मूल्यांकन रिपोर्ट सौंपने में हुए विलंब से स्पष्ट था।

निर्धारण अधिकारी ने अघोषित आय का परिवर्धन और व्यय को अस्वीकृत नहीं किया यद्यपि तलाशी के दौरान निर्धारित ने शपथ-पत्र द्वारा इसको स्वीकार किया था। आयकर विभाग के विभिन्न विंगों के साथ-साथ अन्य सरकारी एजेंसियों/प्राधिकरणों के बीच समन्वय की कमी थी। ऐसे मामलों भी थे जहां एक विभाग/अन्य सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध सूचना को आयकर विभाग के साथ या इसके विपरीत साझा नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, तलाशी में सामने आए मुद्दों की जांच प्रमाणित करने वाले साक्ष्य से नहीं की

जा सकती थी। इसके अतिरिक्त ऐसे मामले थे, जिनमें महत्वपूर्ण सूचनाओं के विलंब से साझा करने/साझा न करने के कारण संबंधित एजेंसियों/प्राधिकरणों द्वारा समय पर कार्रवाई नहीं की गई थी। कार्रवाई नोट तथा पृथक विवरणात्मक रिपोर्ट जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा तालाशी निर्धारणों के पर्यवेक्षण हेतु महत्वपूर्ण उपकरण है, को तैयार न करने और प्रस्तुत नहीं करने से मॉनीटरिंग तंत्र में बाधा हुई। इसके अतिरिक्त, तलाशी और जब्ती परिचालनों/निर्धारणों के कारण कर *दायरे* में जोड़े गए नए निर्धारितियों की पहचान करने और उनके द्वारा नियमित रूप से विवरणियां दाखिल करने की मॉनीटरिंग के लिए आयकर विभाग में कोई उचित तंत्र नहीं था।

### 3.6 सिफारिशें

लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि:

(i) सीबीडीटी एक प्रणाली स्थापित करें ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि जब्त माल के साथ मूल्यांकन रिपोर्ट निर्धारित समय के अन्दर निर्धारण विंग को सौंपी जा सके ताकि निर्धारण अधिकारी को मूल्यांकन रिपोर्ट में इंगित किए गये सभी मुद्दों की जांच करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकें।

(पैराग्राफ 3.1.1)

(ii) सीबीडीटी एक प्रणाली स्थापित करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल्यांकन रिपोर्ट में इंगित किए गये मुद्दों को निर्धारण के दौरान विधिवत संबोधित किया गया है।

(पैराग्राफ 3.1.2)

(iii) अधिनियम के प्रावधान 132(4) का प्रभावी उपयोग करने के लिए आयकर विभाग अपनी निर्धारण प्रक्रिया को मजबूत करे।

(पैराग्राफ 3.1.3)

सीबीडीटी ने लेखापरीक्षा सिफारिश की जांच करने पर सहमति व्यक्त की (जून 2020)।

(iv) आयकर विभाग, विभाग के विभिन्न विंगों के साथ-साथ अन्य सरकारी एजेंसियों के मध्य सूचना के आदान-प्रदान के तंत्र को मजबूत करें और प्रभावी निर्धारणों के लिए समयबद्धता सुनिश्चित करें और निर्धारिती को अनुचित लाभ लेने से रोकें।

(पैराग्राफ 3.2)

सीबीडीटी ने बताया (जून 2020) कि मौजूदा प्रक्रियाएं/तंत्र विभाग के अंदर और साथ ही अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ सूचना का प्रभावी आदान-प्रदान पहले से ही कर रहे हैं और बोर्ड ने समय-समय पर संबंधित क्षेत्रीय संरचनाओं को समय-सीमा का सख्ती से पालन करने हेतु निर्देशित करने के लिए विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। तथापि, सीबीडीटी ने इस बात पर सहमति दी कि मौजूदा तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

(v) जहाँ पर कार्रवाई नोट/पृथक विवरणात्मक रिपोर्ट नहीं तैयार की गई हो वहाँ जिम्मेदारी निश्चित की जाए और समुचित कार्रवाई की जाए ताकि तलाशी कार्यों का उद्देश्य पराजित ना हो।

(पैराग्राफ 3.3)

(vi) आयकर विभाग तलाशी अभियानों/निर्धारणों के फलस्वरूप कर दायरे में जोड़े गए नए निर्धारितियों का पता लगाने के लिए एक सिस्टम तैयार करें और यह भी देखें कि वे निर्धारित कर अनुपालन कर रहे हैं।

(पैराग्राफ 3.4)

सीबीडीटी ने बताया (जून 2020) कि प्र. सीआईटी से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, वे चूकों का पता लगाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति न हो।

नीलेश कुमार साह

(नीलेश कुमार साह)

प्रधान निदेशक (प्रत्यक्ष कर-1)

नई दिल्ली

दिनांक: 03 अगस्त 2020

प्रतिहस्ताक्षरित

राजीव महर्षि

(राजीव महर्षि)

नई दिल्ली

दिनांक: 04 अगस्त 2020

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

